संख्या-09/2016/4060/94-1-2016-218(14)/2015

प्रेषक,

सुधीन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

स्टाम्प एंव रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 22 दिसम्बर, 2016

विषयः वित्तीय वर्ष 2016-17 के (आय-व्ययक) अनुदान संख्या-91 के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशियों का निवर्तन पर रखा जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के पत्र संख्या-1-2016/ बी-1-746/ दस-2016-231/2016 दिनांक 22-03-2016 एवं आपके द्वारा दिनांक 14-12-2016 को उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव, जो वर्ष 1990 से 2016 के मध्य पुराने पंजीकृत विलेखों के डिजिटाइजेशन (स्कैनिंग एण्ड इण्डैक्सिंग ऑफ ओल्ड डाक्यूमेंट) के सम्बन्ध में है, के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-91 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2030-स्टाम्प पंजीकरण-आयोजनेत्तर 03 पंजीकरण 001 निदेशन तथा प्रशासन-05-स्कैनिंग एण्ड इंडेक्सिंग ऑफ ओल्ड डाक्यूमेंट-16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान हेतु धनराशि रूपये 2500.00 लाख (रूपये पच्चीस करोड़ मात्र) की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के वर्ष 1990 से 2016 के मध्य पुराने पंजीकृत विलेखों के डिजिटाइजेशन एवं इंडेक्सिंग कराये जाने का कार्य जनपद स्तर पर आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के शासनादेश संख्या-1710/78-2-2016-135-आई0टी0-2016, दिनांक 17 नवम्बर, 2016 में उल्लिखित कार्यदायी संस्थाओं में से टेण्डर कराकर न्यूनतम व्यय के आधार पर कार्य कराये जायेंगे।

(2) प्रश्नगत डिजिटाइजेशन एवं इंडेक्सिंग कार्य हेतु जनपद स्तर पर धनराशि सहायक महानिरीक्षक निबन्धन के माध्यम से सभी जनपदों के जिलाधिकारियों

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

के निवर्तन पर आवंटित की जायेगी, जो शासनादेश संख्या-1518/78-आई0टी0-2/2000 दिनांक 16-08-2002 एवं शासनादेश संख्या-1710/78-2-2016-135-आई0टी0-2016 दिनांक 17-11-2016 में निहित प्राविधानों के अतिरिक्त वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(3) अवमुक्त की जाने वाली धनराशि किसी भी परिस्थिति में पी0एल0ए0/ बैंक/ डाक घर तथा डिपाजिट खाते में जमा नहीं की जायेगी।

(4) समय-समय पर निर्गत आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के सुसंगत शासनादेश एवं सुसंगत वित्तीय नियमों एवं निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) धनराशि का आहरण राजकोष से तभी किया जायेगा, जब भुगतान की वास्तविक आवश्यकता उत्पन्न हो।

(6) उपरोक्तानुसार धनराशियों को विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों मे व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(7) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्रावधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/ वितरित धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-बी0-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रुप से अनुपालन किया जाय।

(9) व्यय को प्राधिकृत विनियोग की सीमा के भीतर रखे जाने से संबंध में बजट मैनुअल में दिये गये निर्देशों एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16-12-2011 के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ ही राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय व तत्काल

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

धनराशि अधीनस्थ कार्यालयों के निवर्तन पर रख कर जारी स्वीकृतियों की एक प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाय।

2- इस सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1-2016/ बी-1-746/ दस-2016-231/2016 दिनांक 22-03-2016 व उक्त में निहित प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये, जिसकी प्रति विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित की गई है।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-91 के लेखाशीर्षक 2030-स्टाम्प पंजीकरण-आयोजनेत्तर-03-पंजीकरण-001-निदेशन तथा प्रशासन-05-स्कैनिंग एण्ड इन्डेक्सिंग ऑफ ओल्ड डाक्यूमेंट-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-9-435/दस-2016 दिनांक 22-12-2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुधीन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या-09/2016/4060(1)/94-1-2016 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
5- निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2।
8- गार्ड फाइल।

(सुधीन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in